

Dated 4-2-2006

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

अधिसूचना

(औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग)

केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2006

सा. का. नि. 27.—यतः वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड) भारत सरकार के दिनांक 24 अक्टूबर, 2005 की अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 382 के साथ इसके द्वारा प्रभावित होने वाले संभावित व्यक्तियों से आपत्तियां तथा सुझाव, उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करने की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि समाप्त होने से पहले मांगने के लिए भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 (1923 का 5) की धारा 31 की उप-धारा (1) जो दिनांक 29 अक्टूबर, 2005 के भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उपखंड (j) में है, द्वारा यथा अपेक्षित भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1950 में और संशोधन करने के लिए कुछ विनियमों के मसौदे प्रकाशित किये गये थे;

और जबकि उक्त राजपत्र की प्रतियां आम जनता को 18 नवम्बर, 2005 को उपलब्ध करा दी गयी थीं;

और जबकि उक्त मसौदे में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी भी व्यक्ति से ऐसे मसौदों के संबंध में कोई आपत्तियां अथवा सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे;

अतः अब भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड एतद्वारा भारतीय बॉयलर विनियम, 1950 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः :—

1. (1) इन विनियमों को भारतीय बॉयलर (संशोधन) विनियम, 2006 कहा जायेगा।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकारान की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. भारतीय बॉयलर विनियम, 1950 के विनियम 4 क के उप-विनियम (4) में, निम्नलिखित को अंत में जोड़ा जाएगा, नामतः :—

“मान्यता प्रमाण-पत्र मूल्यांकन समिति द्वारा संयंत्र के दौरे की तारीख से होगा और यह पांच वर्ष की अवधि के लिए होगा। मान्यता के नवीनीकरण की स्थिति में, यदि नवीनीकरण के लिए आवेदन विनियमों के अनुसार अपेक्षित शुल्क सहित प्राप्त होता है, तो विनियमों में निर्धारित की गई प्रक्रिया अपनाए जाने के बाद कंपनी को मान्यता दी जा सकती है तथा प्रमाण-पत्र पांच वर्ष की अवधि के लिए जारी किया जायेगा।”

[फा. सं. 20 (23)/2005-बॉयलर्स]

वी. के. गोखल, सचिव, केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड

टिप्पणी : मुख्य विनियमों को का. आ. 600 दिनांक

15 सितम्बर, 1950 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किया गया :

1. सा. का. नि. 178, दिनांक 24 मार्च, 1990
2. सा. का. नि. 179, दिनांक 24 मार्च, 1990
3. सा. का. नि. 488, दिनांक 9 अक्टूबर, 1993
4. सा. का. नि. 516, दिनांक 23 अक्टूबर, 1993
5. सा. का. नि. 634, दिनांक 25 दिसम्बर, 1993
6. सा. का. नि. 107, दिनांक 26 फरवरी, 1994 शुद्धिपत्र सा.का.नि. 223, दिनांक 14 मई, 1994
7. सा. का. नि. 250, दिनांक 4 जून, 1994
8. सा. का. नि. 402, दिनांक 13 अगस्त, 1994
9. सा. का. नि. 427, दिनांक 20 अगस्त, 1994
10. सा. का. नि. 562, दिनांक 12 नवम्बर, 1994
11. सा. का. नि. 607, दिनांक 10 दिसम्बर, 1994
12. सा. का. नि. 83, दिनांक 25 फरवरी, 1995;
13. सा. का. नि. 93, दिनांक 4 मार्च, 1995;
14. सा. का. नि. 488, दिनांक 9 नवम्बर, 1996;
15. सा. का. नि. 582, दिनांक 28 दिसम्बर, 1996;
16. सा. का. नि. 59, दिनांक 25 जनवरी, 1997;
17. सा. का. नि. 117, दिनांक 1 मार्च, 1997;
18. सा. का. नि. 172, दिनांक 29 मार्च, 1997;
19. सा. का. नि. 221, दिनांक 21 नवम्बर, 1998;
20. सा. का. नि. 131, दिनांक 1 मई, 1999;
21. सा. का. नि. 139, दिनांक 8 मई, 1999; शुद्धिपत्र सा. का. नि. 201, दिनांक 7 अप्रैल, 2001
22. सा. का. नि. 237, दिनांक 31 जुलाई, 1999;
23. सा. का. नि. 345, दिनांक 23 अक्टूबर, 1999;
24. सा. का. नि. 397, दिनांक 14 अक्टूबर, 2000;
25. सा. का. नि. 219, दिनांक 14 अप्रैल, 2001;
26. सा. का. नि. 496, दिनांक 8 सितम्बर, 2001;
27. सा. का. नि. 672, दिनांक 15 दिसम्बर, 2001;
28. सा. का. नि. 127, दिनांक 13 अप्रैल, 2002;
29. सा. का. नि. 407, दिनांक 22 नवम्बर, 2003;
30. सा. का. नि. 201, दिनांक 19 जून, 2004;
31. सा. का. नि. 203, दिनांक 19 जून, 2004;
32. सा. का. नि. 265, दिनांक 7 अगस्त, 2004;
33. सा. का. नि. 32, दिनांक 29 जनवरी, 2005;
34. सा. का. नि. 66, दिनांक 26 फरवरी, 2005;
35. सा. का. नि. 67, दिनांक 26 फरवरी, 2005;
36. सा. का. नि. 423, दिनांक 24 दिसम्बर, 2005;

NOTIFICATION

(Department of Industrial Policy and Promotion)

CENTRAL BOILERS BOARD

New Delhi, the 31st January, 2006

G. S. R. 27.—Whereas the draft regulations further to amend the Indian Boiler Regulations, 1950 were published, as required by Sub-section (1) of Section 31 of the Indian Boilers Act, 1923 (5 of 1923), in the Gazette of India, dated the 29th October, 2005, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion) (Central Boilers Board), Number G. S. R. 382, dated the 24th October, 2005 for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of the period of forty-five days from the date on which the copies of the said Gazette Notification were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 18th November, 2005;

And whereas no objections or suggestions have been received within the specified period in respect of the amendments contained in this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 28 of the Indian Boilers Act, 1923, the Central Boilers Board hereby makes the following regulations further to amend the Indian Boiler Regulations, 1950, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Indian Boiler (Amendment) Regulations, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Boiler Regulations, 1950, in regulation 4A, in sub-regulation (4), the following shall be added at the end, namely:—

“The certificate of recognition shall be from the date of the visit of the plant by the Evaluation Committee and shall be for a period of five years. In the case of renewal of the recognition, if the application is received for renewal along with the required fee as per the regulations, the firm may be recognised after following the procedure laid down in the regulations and the certificate shall be issued for a further period of five years.”

[F. No. 20 (23)/2005-Boilers]

V. K. GOEL, Secy. Central Boilers Board

Note :—The principal regulations were published in the Gazette of India *vide* S. O. 600, dated the 15th September, 1950 and subsequently amended *vide* notifications—

(i) G. S. R. 178, dated the 24th March, 1990;

(ii) G. S. R. 179, dated the 24th March, 1990;

(iii) G. S. R. 488, dated the 9th October, 1993;

(iv) G. S. R. 516, dated the 23rd October, 1993;

(v) G. S. R. 634, dated the 25th December, 1993;

(vi) G. S. R. 107, dated the 26th February, 1994; Errata
G. S. R. 223, dated the 14th May, 1994;

(vii) G. S. R. 250, dated the 4th June, 1994;

(viii) G. S. R. 402, dated the 13th August, 1994;

(ix) G. S. R. 427, dated the 20th August, 1994;

(x) G. S. R. 562, dated the 12th November, 1994;

(xi) G. S. R. 607, dated the 10th December, 1994;

(xii) G. S. R. 83, dated the 25th February, 1995;

(xiii) G. S. R. 93, dated the 4th March, 1995;

(xiv) G. S. R. 488, dated the 9th November, 1996;

(xv) G. S. R. 582, dated the 28th December, 1996;

(xvi) G. S. R. 59, dated the 25th January, 1997;

(xvii) G. S. R. 117, dated the 1st March, 1997;

(xviii) G. S. R. 172, dated the 29th March, 1997;

(xix) G. S. R. 221, dated the 21st November, 1998;

(xx) G. S. R. 131, dated the 1st May, 1999;

(xxi) G. S. R. 139, dated the 8th May, 1999; Errata
G. S. R. 201, dated 7th April, 2001.

(xxii) G. S. R. 237, dated the 31st July, 1999;

(xxiii) G. S. R. 345, dated the 23rd October, 1999;

(xxiv) G. S. R. 397, dated the 14th October, 2000;

(xxv) G. S. R. 219, dated the 14th April, 2001;

(xxvi) G. S. R. 496, dated the 8th September, 2001;

(xxvii) G. S. R. 672, dated the 15th December, 2001;

(xxviii) G. S. R. 127, dated the 13th April, 2002;

(xxix) G. S. R. 407, dated the 22nd November, 2003;

(xxx) G. S. R. 201, dated the 19th June, 2004;

(xxxi) G. S. R. 203, dated the 19th June, 2004;

(xxxii) G. S. R. 265, dated the 7th August, 2004;

(xxxiii) G. S. R. 32, dated the 29th January, 2005;

(xxxiv) G. S. R. 66, dated the 26th February, 2005;

(xxxv) G. S. R. 67, dated the 26th February, 2005;

(xxxvi) G. S. R. 423, dated the 24th December, 2005;